

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार वाद संख्या 632

=====

रमेश बारी उर्फ रमेश कुमार बारी, पुत्र- स्वर्गीय भरत बारी, निवासी - वार्ड नं. 8
(पुराना वार्ड नं.30), लक्ष्मी सागर बारी टोला, भौवरा टाउन, थाना- मधुबनी, जिला-
मधुबनी।

... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. दिनेश यादव पुत्र- स्वर्गीय योगेंद्र यादव, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।
2. गणेश यादव पुत्र- स्वर्गीय योगेंद्र यादव, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।
3. बिनोद यादव पुत्र- स्वर्गीय महेंद्र यादव, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।
4. सुरेश बारी पुत्र- स्वर्गीय भरत बारी, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।
5. दिनेश बारी पुत्र- स्वर्गीय भरत बारी, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।
6. गणेश बारी पुत्र- स्वर्गीय भरत बारी, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।
7. महेश बारी पुत्र- स्वर्गीय भरत बारी, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।
8. मालती देवी, पत्नी- स्वर्गीय भरत बारी, निवासी -वार्ड संख्या-8 (पुराना वार्ड संख्या-30) लक्ष्मी सागर, बारी टोला, भौवरा टाउन थाना- मधुबनी, जिला- मधुबनी।

..... प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री शशि नाथ झा, अधिवक्ता
प्रतिवादी/गण की ओर से : श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता

=====

- भारत का संविधान - अनुच्छेद 227 - दलीलों में संशोधन के लिए कानूनी मानक - न्यायालय ने आदेश VI, नियम 17 सीपीसी पर भरोसा किया - पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का निर्धारण करने के लिए यदि आवश्यक हो तो संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष को कोई नुकसान न हो। (पैरा 7) (इस पर भरोसा: - भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स (पी) लिमिटेड, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1128) - न्यायालय को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि अति तकनीकी आधार पर संशोधनों को खारिज करने के बजाय वास्तविक विवादों पर निर्णय लिया जाए।
(पैरा 7)
- ट्रायल कोर्ट के आदेश से उत्पन्न विसंगतियाँ - ट्रायल कोर्ट ने पैराग्राफ 1 और 2 में संशोधन की अनुमति दी, लेकिन अनुसूची में समान परिवर्तनों को अस्वीकार कर दिया, जिससे संपत्ति विवरण में असंगतियाँ पैदा हो गई - कोर्ट को इस चयनात्मक दृष्टिकोण का कोई औचित्य नहीं मिला, क्योंकि इससे तथ्यात्मक विरोधाभास पैदा हो गए। (विजय गुप्ता बनाम गगनिंदर कुमार गांधी, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1897 पर भरोसा)।
(पैरा 7)
- मुकदमे के मूल्यांकन में परिवर्तन अस्वीकृति के लिए वैध आधार नहीं है - न्यायालय ने माना कि मुकदमे के मूल्यांकन में वृद्धि संशोधन का परिणामी प्रभाव है और यह स्वतः ही अस्वीकृति का आधार नहीं है - यदि ट्रायल कोर्ट के पास आर्थिक क्षमता बनी रहती है तो क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहता है - (रमेश चंद अरदावतिया बनाम अनिल पंजवानी, (2003) 7 एससीसी 350 पर भरोसा) - ट्रायल कोर्ट द्वारा संशोधनों की अस्वीकृति कानूनी रूप से आधारणीय थी - न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक संशोधनों को बहाल किया गया - पैरा 1 और 2 के अनुरूप अनुसूची में संशोधन करने का वादी का अधिकार बरकरार रखा गया।
(पैरा 7)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तारीख:18-07-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान वकील को भी सुना और मैं याचिका को प्रवेश के चरण में ही निपटाने का इरादा रखता हूँ।

02. यह याचिका भारत के संविधान की अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है जिसमें 2016 के शीर्षक मुकदमा संख्या 13 में विद्वान मुन्सिफ जज प्रथम, मधुबनी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत वादी द्वारा शिकायत में संशोधन के लिए मांगे गए कुछ संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। वादी द्वारा मांगे गए सभी प्रस्तावित संशोधनों को अनुमति देने के लिए आगे की प्रार्थना की गई है।

03.याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता वादी संख्या 3 और अन्य वादियों को प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ अनुसूची-॥ भूमि के संबंध में कब्जे की घोषणा और पुष्टि के लिए और अन्य सहायक राहतों के अलावा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बेदखल होने पर कब्जे की वसूली के लिए विद्वान सिविल न्यायाधीश,-1 मधुबनी न्यायालय में स्वामित्व के लिए मुकदमा संख्या 13/2016 दायर किया। नोटिस के बाद प्रतिवादी/प्रतिवादी प्रथम पक्ष उपस्थित हुए और अपना लिखित बयान दायर किया। इसके बाद, वादी ने शिकायत में संशोधन के लिए 11.01.2023 को सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") के आदेश-6, नियम-17 के तहत एक याचिका दायर की।

इस आवेदन पर एक प्रत्युत्तर दायर किया गया और विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.02.2023 के आदेश के तहत वादीगण के प्रस्तावित संशोधन को आंशिक रूप से अनुमति दी और आंशिक रूप से उसे अस्वीकार कर दिया।

04. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जब सुनवाई पूरी होने और मुद्दों के निपटारे के बाद साक्ष्य दर्ज करने के चरण में थी, तब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कुछ संशोधनों को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि कोई सबूत दर्ज नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि मांगे गए संशोधन औपचारिक प्रकृति के हैं और कुछ टंकण संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद के पैराग्राफ 1 और 2 में कुछ संशोधनों की अनुमति दी, जबकि अनुसूचियों में इसके परिणामी संशोधनों की अनुमति नहीं दी गई, जिससे एक असहज स्थिति पैदा हो गई। अनुसूची के भूखंड संख्या को हटाने के संबंध में संशोधन का उल्लेख शिकायत के पैराग्राफ 1 और 2 में किया गया है और अनुसूची के लिए वही संशोधन जिसमें वादी ने अपनी अनुसूचित संपत्ति से कुछ भूखंडों को हटाने की मांग की थी, की अनुमति नहीं दी गई थी। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि सभी संशोधन व्याख्यात्मक और स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के हैं और पक्षों के बीच मामले के पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने कुछ संशोधनों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मुकदमे का मूल्य और भूमि की प्रकृति बदल जाएगी। लेकिन, यह संशोधन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, गूढ़, अनुचित, गैर-तर्कसंगत और यह कि यह कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी टिकाऊ नहीं है।

05. प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से किए गए निवेदन का जोरदार विरोध किया गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संशोधन लाते समय, वादी ने भूखंड संख्या को

बदलने की मांग की, लेकिन उक्त भूखंड संख्या 7354 जिसे वादी बदलना चाहते हैं, वह प्रतिवादियों की रैयती भूमि है जिसे उनके पूर्वजों ने वादी के पूर्वजों से खरीदा था, जबकि प्लॉट संख्या 7355 जिसे वादी अनुसूची में सम्मिलित करना चाहते हैं, वह मकान मालिक की भूमि है जिसे प्रतिवादियों के पूर्वजों के पक्ष में निपटाया गया था और भूमि काफी लंबे समय से प्रतिवादियों के कब्जे में है। वादी विषय वस्तु, मुकदमे के आधार को बदलना चाहते हैं और एक नई कहानी पेश करना चाहते हैं। वादी मुकदमे की भूमि के क्षेत्र और उसकी सीमा को भी बदलना चाहते हैं। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि संशोधन लाकर वादी मुकदमे का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं।

06. जवाब के माध्यम से, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि मुकदमे का मूल्य बढ़ने के बाद भी यह विद्वान विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहेगा और अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा।

07. मैंने मामले के विभिन्न पहलुओं और पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है। संहिता के आदेश-6, नियम-17 में निम्नलिखित लिखा है:

“दलीलों का संशोधन: न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर किसी भी पक्ष को अपने अभिवचनों को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो न्यायसंगत हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक हों: बशर्ते कि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार मुकदमा शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।”

अदालतें किसी भी स्तर पर संशोधनों की अनुमति देंगी यदि वे पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक हैं। मुकदमा अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है क्योंकि यह विवादित आदेश से परिलक्षित होता है कि वादी के साक्ष्य के लिए मामला तय किया गया है। मैं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि संशोधन की अनुमति देने से मुकदमे की प्रकृति में परिवर्तन होगा या मुकदमे के मूल्यांकन में वृद्धि संशोधन को अस्वीकार करने का कारण हो सकता है। इसके अलावा, जब विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद में कुछ नए तथ्यों को लाते हुए वाद के पैराग्राफ 1 और 2 में संशोधन की अनुमति दी, तो यह समझ में नहीं आता कि अनुसूचियों में उसी संशोधन की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, मुकदमे के मूल्य में वृद्धि या कमी उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप और यदि संशोधन अधिकार क्षेत्र को नहीं बदलता है तो वाद के मूल्यांकन में संशोधन की अनुमति देने में कोई नुकसान नहीं है। न्यायालय को संशोधनों की अनुमति देने में उदार होना चाहिए यदि मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और उस मामले में जहां पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निर्णय के लिए यह आवश्यक है। इस मुद्दे पर कानून का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों द्वारा किया गया है और हाल ही में **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स (पी) लिमिटेड का मामला, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1128 में रिपोर्ट किया गया**, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 70 में संशोधन के मुद्दे पर कानून का सारांश निम्नलिखित तरीके से दिया:

“70. हमारे अंतिम निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) आदेश ॥ नियम 2 दि.प्र.सं. बाद के मुकदमे के खिलाफ एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है यदि उसके आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं और अभिवचनों के

संशोधन का क्षेत्र इसके दायरे से बहुत परे है। इस प्रकार, आदेश ॥ नियम 2 दि.प्र.सं. के तहत संशोधन पर रोक लगाने की याचिका गलत धारणा है और इसलिए इसे नकार दिया गया है।

(ii) सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हैं बशर्ते कि यह दूसरे पक्ष के लिए अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने। यह अनिवार्य है, जैसा कि दि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्द्ध भाग में "होगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।

(iii) संशोधन के लिए अनुरोध की अनुमति दी जानी चाहिए

(i) यदि पक्षों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित निर्णय के लिए संशोधन की आवश्यकता है, और

(ii) कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते कि

(क) संशोधन के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होता है।

(ख) संशोधन द्वारा, संशोधन की मांग करने वाले पक्ष द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकारोक्ति को वापस लेने की कोशिश नहीं करते हैं जो दूसरी तरफ अधिकार प्रदान करता है और

(ग) संशोधन एक समयबद्ध दावे को नहीं उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक मूल्यवान अर्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में) के दूसरे पक्ष का विनिवेश होता है।

(iv) संशोधन के लिए एक प्रार्थना को आम तौर पर अनुमति देने की आवश्यकता होती है जब तक कि

(i) संशोधन द्वारा, एक समय-वर्जित दावा पेश करने की मांग की जाती है, जिस स्थिति में यह तथ्य कि दावा समय-वर्जित होगा, विचार के लिए एक प्रासंगिक कारक बन जाता है।

(ii) संशोधन मुकदमे की प्रकृति को बदल देता है,

(iii) संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या

(iv) संशोधन द्वारा, दूसरा पक्ष एक वैध बचाव खो देता है।

(v) अभिवचनों के संशोधन के लिए एक प्रार्थना से निपटने में, न्यायालय को एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, और आमतौर पर उदार होने की आवश्यकता होती

है, विशेष रूप से जहां विरोधी पक्ष को लागत द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

(vi) जहां संशोधन न्यायालय को विवाद पर स्पष्ट रूप से विचार करने में सक्षम बनाएगा और अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता करेगा, वहां संशोधन के लिए अनुरोध की अनुमति दी जानी चाहिए।

(vii) जहां संशोधन केवल कार्रवाई के लिए एक समयबद्ध कारण पेश किए बिना एक अतिरिक्त या एक नया दृष्टिकोण पेश करने का प्रयास करता है, तो संशोधन की अनुमति सीमा समाप्त होने के बाद भी दी जा सकती है।

(viii) संशोधन की अनुमति न्यायसंगत रूप से दी जा सकती है जहां इसका उद्देश्य वाद में सामग्री विवरणों की अनुपस्थिति को ठीक करना है।

(ix) केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां विलंब का पहलू तर्क योग्य है, वहां संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और निर्णय के लिए सीमा का मुद्दा अलग से तैयार किया जा सकता है।

(x) जहां संशोधन मुकदमे की प्रकृति या कार्रवाई के कारण को बदल देता है, ताकि एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित किया जा सके। वाद में, संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, जहाँ मांगा गया संशोधन केवल वाद में राहत के संबंध में है, और उन तथ्यों पर आधारित है जो पहले से ही वाद में प्रस्तुत किए गए हैं, वहाँ आम तौर पर संशोधन की अनुमति दी जानी आवश्यक है।

(xi) जहाँ मुकदमा शुरू होने से पहले संशोधन की मांग की जाती है, वहाँ न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में उदार होना आवश्यक है। अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि विरोधी पक्ष को संशोधन में स्थापित मामले को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार, जहां संशोधन के परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष के प्रति अपूरणीय पूर्वाग्रह नहीं होता है, या विरोधी पक्ष को उस लाभ से वंचित नहीं करता है जो उसने संशोधन की मांग करने वाले पक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त किया था, तो संशोधन की अनुमति देने की आवश्यकता होती है। समान रूप से, जहां अदालत के लिए पक्षों के बीच विवाद के मुख्य

मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए संशोधन आवश्यक है, वहां संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।
(विजय गुप्ता बनाम गगनिंदर कुमार गांधी, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1897 देखें)।”

08. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मुझे नहीं लगता कि आरोपित आदेश टिकने योग्य है और इसलिए, इसे इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि दिनांक 11.01.2023 की याचिका के क्रम संख्या 3, 4 और 5 में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमति दी जाती है।

09. तदनुसार वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

अनुराधा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।